राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2020 अपील

1. नन्दा उर्फ नन्दराम पुत्र गोकल खटीक निवासी गोविन्दपुरा, नगर पालिका आसीन्द तहसील आसीन्द

–अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार आसींद
2. रामा उर्फ रामलाल पुत्र गंगाराम खटीक निवासी गोविन्दपुरा नगर पालिका आसीन्द तहसीलदार आसीन्द

– प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तरण संख्या 165 दिनांक 23.06.1954 व संशोधित नामान्तरकरण संख्या 316 दिनांक 03.05.1962 एवं नामान्तरण संख्या 2297 दिनांक 03.06.1993 का संशोधित नामान्तरण संख्या 357 दिनांक 20.07.1995 तहसीलदार आसींद

उपस्थित –

1. श्री अम्बालाल कुमावत अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता– प्रत्यर्थी 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.03.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार आसीन्द के नामान्तरकरण सं. 165 दिनांक 23.06.1954, संशोधित नामान्तरकरण संख्या 316 दिनांक 03.05.1962 एवं नामान्तरकरण संख्या 2297 दिनांक 03.06.1993 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आसींद में अपीलार्थी के दादा के नाम शामलाती कृषि आराजियात भूमि स्थित है। जिसके साबिक आराजी के खाता सं 441 आराजी नं 1741 रकबा 2 बीघा 12 बीस्वा कुल किता 1 रकबा 2 बीघा 12 बीस्वा राजस्व जमाबंदी सम्वत 2009 से 2012 में खातेदार प्रताप पिता रामा 1/2 नाथू पिता दयाराम 1/2 खटीक सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलार्थी की मौरूसी एवं पैतृक साबिक आराजी को भू–प्रबंध विभाग ने सेटलमेन्ट के दौरान नये आराजी नम्बर 4682 रकबा 0.26 हैक्टर व आराजी नम्बर 4683 रकबा 0.35 है0 कायम किये व हाल आराजी संख्या 4682 रकबा 0.26 है0 व 4683/2 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.30 है0 गुलाब पिता

पिता दयाराम के नाम की समस्त आराजीयात को अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में गंगाराम मुतबन्ना नाथु गलत दर्ज करवायी, जबकि गंगाराम किसी के भी गोद नही रखा गया, न गोद लिया। विपक्षी संख्या 02 द्वारा नामान्तकरण संख्या 2297 दिनांक 03.06.1993 से गंगाराम मुतबन्ना नाथु के नाम की समस्त आराजीयात को अपने नाम गलत तौर पर दर्ज करवाया जो अपीलार्थी के दादाजी नाथु पिता दयाराम की होने से उक्त नामान्तकरण भी विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाना योग्य है। विपक्षी संख्या 02 द्वारा नामान्तकरण संख्या 2297 दिनांक 03.06.1993 को संशोधित नामान्तकरण संख्या 357 दिनांक 20.07.1995 से गंगाराम मुतबन्ना नाथु के 1/2 हिस्से को अपने नाम पर गलत तौर पर दर्ज करवाया। जबकि अपीलार्थी के दादाजी नाथु पिता दयाराम की होने से उक्त नामान्तकरण भी निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तकरण आदेश के संबध में अपीलार्थी को नकल आवेदन दिनांक 13.02.2020 को नामान्तकरण की नकल का प्रस्तुत किया एवं उसी दिनांक को नकल अपीलार्थी को प्राप्त हो गई नकल लेने की दिनांक से उक्त अपील अन्दर अवधि है एवं अपीलार्थी को जानकारी सन् 2012 में राजस्व वाद प्रस्तुत होने पर वाद कारण उत्पन हुआ है, लेकिन उपरोक्त सभी नामान्तकरण संख्या 165, 316, 2297 व 357 गलत तौर पर भूरा का गोद पुत्र विपक्षी संख्या 2 के पिता गंगाराम को राजस्व रेकार्ड में गोदपुत्र अंकित हुआ है एवं उनका पुत्र होने की पुष्टि कर दी गई जबकी भूरा खटीक की मृत्यु दिनांक 05.02.1950 को हुई, जबकी भूरा की पत्नि प्रतापी की मृत्यू सन् 1956 में हुई जो भूरा की विधिक वारिसान होकर उनकी पत्नि थी। गोकल की मृत्यू 1951 में हुई है। जिसका पुत्र अपीलार्थी है, जबकी अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नही किया गया एवं विधि विरूद्ध नामान्तकरण की कार्यवाही की है। उक्त नामान्तरकरणों के मियाद में लिये जाने के लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें दिनांक 23.06.1954 से एवं दिनांक 20.07.1995 तक गलत तौर पर विपक्षी संख्या 2 के पिता गंगाराम को गोद जाना बताकर गलत प्रविष्टिया राजस्व रेकार्ड में की गई है। जिसके संबध में अपीलार्थी द्वारा राजस्व वाद 70/2012 प्रस्तुत किया है जिसमें वाद हेतुक दिनांक 02.01.2012 से उत्पन्न होना जाहिर किया लेकिन उक्त अवैध एवं प्रारम्भ से शून्य नामान्तकरणो को निरस्त करवाने के लिए अपीलाण्ट द्वारा नकल लेने की दिनांक 13.02.2020 को नकल प्राप्त होने तक के समय को मियाद में लिया जाकर अपीलाण्ट की अपील को मियाद में लिये जाने एवं देरी हुये समय को कंडोन किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए अलग से मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत मय शपथ पत्र

किये हैं। जबकि राजस्व अपीलीय न्यायालय में कृषि आराजियात के नामान्तरकरण की अपील की सुनवायी की जाती हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण उपरान्त जाहिर आया कि, प्रश्नगत आराजियात से संबंधित प्रकरण सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द में अपीलार्थी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर रखा हैं। जिसके प्रकरण संख्या 70/2012 हैं। इस प्रकार पक्षकारान के मध्य वाद जैरकार हैं। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग होती हैं एवं म्यूटेशन अपील Summary Proceeding हैं, जिसके माध्यम से हक व अधिकार का निर्धारण नही किया जा सकता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा